सप्तदश

बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 23 फाल्गुन, 1944 (श०)
14 मार्च, 2023 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	शिक्षा विभाग	- -	03
(2)	समाज कल्याण विभाग	- -	01
		कुल योग --	04

दोषी कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई

46. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या-83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 3 फरवरी, 2023 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''पाँच अरब का दस साल से हिसाब नहीं'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के दरभंगा जिला सहित अन्य जिले में 2012 से 2019 तक साइकिल योजना में 500 करोड़ से अधिक राशि का हिसाब अभीतक विभाग को नहीं दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि दरभंगा 28 करोड़, मधुबनी 52 करोड़, मुजफ्फरपुर 33 करोड़, वैशाली 9 करोड़, पश्चिमी चम्पारण 27 करोड़ सहित अन्य जिले में वर्ष 2012-13 से लेकर 2018-19 तक साइकिल योजना में दिये गये राशि का हिसाब अभीतक नहीं दिया गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि साइकिल योजना में इतनी बड़ी राशि असामंजित रहने के कारण शिक्षा विभाग के वित्तीय प्रबंधन पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साइकिल योजना के बकाया राशि का हिसाब नहीं देने वाले कर्मियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

महिला आयोग का गठन

47. श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (क्षेत्र संख्या-194 आरा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 29 मई, 2022 को प्रकाशित शीर्षक ''जिस महिला आयोग को सिविल कोर्ट का पावर वह डेढ़ साल से भंग'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य महिला आयोग पिछड़े डेढ़ वर्षों से अधिक समय से भंग है और इसका अभीतक गठन नहीं किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य महिला आयोग भंग रखने के कारण 6000 से अधिक प्रताड़ना, यातना, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले सुनवाई के अभाव में लम्बित है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ही राज्य महिला आयोग गठन पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के तहत आयोग में एक अध्यक्ष एवं सात गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन किया जाता है । अधिसूचना संख्या 2087, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन किया गया था, जिसका कार्यकाल दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो गया है । आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) खंड (1) में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सुविधानुसार ऋण वसूली

48. श्री देवेश कान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2016 में शुरू किये गये स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को दी जा रही ऋण में अधिक ब्याज और जबरन वसूली के 150 से अधिक शिकायत शिक्षा विभाग को प्राप्त हुये है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ब्याज दर में कमी और छात्रों से सुविधानुसार ऋण वसूली का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना

49. डॉ0 रामानुज प्रसाद (क्षेत्र संख्या-122 सोनपुर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2013 को प्रकाशित शीर्षक ''प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 69.8 फीसद बच्चे पाठ्यपुस्तक से वंचित'' के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प्रदेश के ऐन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के 69.08 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 64.01 बच्चों के पास आजतक पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है ?

पटना :
दिनांक 14 मार्च, 2023 (ई0) ।

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0, 86(एल0ए0), 2022-23-डी0टी0पी0-550